संलग्नक - 1

चुनाव के दौरान पालन करने के लिए दिनांक 30.07.2010 को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशः

1) चुनाव और उम्मीदवारों के बारे में वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट देना प्रेस का कर्तव्य होगा। समाचार पत्रों से अनुचित चुनाव अभियानों में शामिल होने, चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार/पार्टी या घटना के बारे में अतिरंजित रिपोर्ट दिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। व्यावहारिक रूप से ऐसे दो या तीन उम्मीदवार सभी मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर होती है। किसी भी समाचार पत्र को वास्तविक चुनाव अभियान पर रिपोर्टिंग करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा उठाए गए किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को नहीं छोड़ना चाहिए और उसके प्रतिद्वंदि पर हमला करना चाहिए।

2) चुनाव नियमों के तहत सांप्रदायिक या जातिगत तरीके से चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसलिए, प्रेस को उन रिपोर्टों से बचना चाहिए, जो धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देती हैं।

3) चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में या किसी भी उम्मीदवार या उसकी उम्मीदवारी को वापस लेने या चुनाव में उस उम्मीदवार की संभावनाओं के प्रति पूर्वाग्रह के संबंध में प्रेस को गलत या आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए। प्रेस को किसी भी उम्मीदवार/पार्टी के खिलाफ गैर सत्याशपित आरोपों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

4) प्रेस को किसी उम्मीदवार/पार्टी को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय या अन्य कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रेस को किसी भी उम्मीदवार/पार्टी की ओर से प्रस्तावित आतिथ्य या अन्य सुविधाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

5) प्रेस से किसी विशेष उम्मीदवार/पार्टी के प्रचार में शामिल होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यदि ऐसा होता है, तो यह दूसरे उम्मीदवार/पार्टी को जवाब देने के अधिकार की अनुमति देगा।

6) प्रेस को किसी पार्टी/सत्तारूढ़ सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खर्च पर किसी भी विज्ञापन को स्वीकार/प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

7) प्रेस को निर्वाचन आयोग/रिटर्निंग अधिकारियों या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी दिशा-निर्देशों/आदेशों/निर्देशों का पालन करना चाहिए।

'पत्रकारिता के आचरण के मानक - 2020'

1. समाचार पत्रों को विशेष रूप से सप्लिमेंट /विशेष संस्करणों पर "प्रचार सामग्री" का उल्लेख करना चाहिए ताकि विभिन्न रिपोर्ट्स और प्रचार सामग्री में अंतर किया जा सके।
2. समाचारपत्र को नेता के बयान को गलत अर्थ में या गलत नहीं देना चाहिए। संपादकीय में उद्धृत बयान को ठीक उसी भावना के साथ दर्शाना चाहिए, जिस भावना के साथ उनके द्वारा अपनी भावना को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा था
3. वे सभी समाचार सामग्री, जिसमें जातिगत आधार पर मतदाताओं के नामों, और विशेष रूप से राजनीतिक दल के उम्मीदवार के समर्थकों का उल्लेख है, समाचारों की ऐसी प्रस्तुति समाचार के पेड न्यूज़ होने के आधार को स्थापित करती है।
4. प्रतिस्पर्धी समाचर पत्रों में समान विषय वस्तु के साथ प्रकाशित राजनीतिक समाचर पेड समाचार होने का पक्का प्रमाण माना जाता है।
5. चुनाव के दौरान दो समाचार पत्रों में समान समाचार शब्दशः प्रकाशित होना कोई संयोग नहीं हो सकता है, और उससे स्पष्ट होता है कि वह समाचार विचारार्थ प्रकाशित किया गया है।

6. कोई समाचार प्रस्तुत करने का ढंग जो किसी एक दल विशेष के पक्ष में हो और किसी दल विशेष के पक्ष में वोट देने की अपील भी की गई हो, उसे पेड समाचार माना जाएगा।
7. चुनाव में किसी उम्मीदवार की निश्चित जीत दर्शाना, जबकि उसने अभी अपना नामांकन तक नहीं भरा है, इसे पेड समाचार माना जाएगा।
8. प्रचार सभाओं की समाचार रिपोर्टों और फिल्मी स्टारों की मौजूदगी के कारण भारी उत्साह को पेड समाचार नहीं कहा जा सकता।
9. चुनाव के बारे में समाचार देते समय, समाचार पत्रों को रिपोर्ट/उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रकाशित करते समय संतुलन बनाए रखने का परामर्श दिया जाता है।
10. चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन समाचार पत्र विभिन्न उम्मीदवारों या दलों की संभावनाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन कर सकते हैं, और इसे पेड समाचार नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि इस तरह के प्रकाशन के लिए कोई प्रलोभन या धन दिया गया है।
11. समाचार पत्र बिना किसी सत्यापन अथवा प्रमाणन के किसी राजनीतिक दल की जीत की भविष्यवाणी करने वाला कोई भी सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं करेंगे।